N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2026

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0019 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 15/01/2026 19:06 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	8
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 07/01/2026 Date To (दिनांक तक): 08/01/2026
   Time Period (समय अवधि): पहर 5 Time From (समय से): 18:00 बजे Time To (समय तक): 14:00 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 15/01/2026 Time (समय): 14:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 004 Date & Time (दिनांक एवं समय) 15/01/2026 19:06:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 184 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE
   (b) Address(पता): BEAWAR
   (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
   Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) **Name(नाम):** Sandeep Saraswat

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 02/07/1987 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	B-99, BALAJI MARG,GOTAM MARG, HANUMAN NAGAR, VAISHALI NAGAR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	B-99, BALAJI MARG,GOTAM MARG, HANUMAN NAGAR, VAISHALI NAGAR, JAIPUR (WEST), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	JAL SINGH MEENA		पिता:GIRRAJ PRASAD MEENA	1. NITHARI POST JATWARA,LAXMANGARH,KHERLI,ALWAR,RAJASTHAN,INDIA
2	NIRMAL KUMAR URF SANJAY YADAV		पिता:GOPAL YADAV	1. WARD 01,SAPPLI DEEPO KE PASS KOTA ROAD,NASIRABAD,AJMER,RAJASTHAN,INDIA
3	VIKARM PRATAP SINGH		पिता:GOVIND SINGH	1. PEEPROLI,TANTOTI,AJMER,RA
4	MAHENDRA PRAJAPAT		पिता:TEEKAMCHAND PRAJAPAT	1. KUMHARO KI DHANI,KOTA CHOURAHA,GRAM DERATOO,NASIRABAD,AJMER,RAJASTHAN,INDIA

5	SUNIL PRAJAPAT		पिता:TEEKAMCHAND PRAJAPAT	1. KUMHARO KI DHANI,KOTA CHOURAHA,GRAM DERATOO,NASIRABAD,AJMER, RAJASTHAN,INDIA
6	KRISHNA SINGH RATHOR		पिता:KEDAR CHAND	1. PEEPROLI,TANTOTI,AJMER,RA
7	BUDHHE SINGH		पिता:MUNNA SINGH	1. RAIRA KHURD,SOJAT CITY,PALI,RAJASTHAN,INDIA
8	MANOHAR NAYAK		पिता:SHIVRAJ NAYAK	1. TANTOTI,AJMER,RAJASTHAN,I
9	PARDEEP SINGH JODHA		पिता:LET. KISHAN SINGH	1. GOPALPURA,RAIPUR,ब्यावर, RAJASTHAN,INDIA
10	RAMURAM		पिता:SANWALRAM	1. LOHARANA,NAWA,डीडवाना-कुचामन,RAJASTHAN,INDIA
11	RISHIRAJ SINGH		पिता:BHAGIRATH SINGH	1. 243,RAJPUTANA MOHALLA,GRAM GOLAKHARWA,PISANGAN,MA NGALIAWAS,AJMER,RAJASTH
12	JAGJEET SINGH URF JAGAT SINGH URF JAGAT BANNA		पिता:NAMALUM	1. NOKHA CHANDAWAT,KHIVSAR,NAGAU R,RAJASTHAN,INDIA
13	BRIJESH AND OTHERS		पिता:RAMNARAYAN	1. SUTARKHANA MOHALLA,NASIRABAD CITY,AJMER,RAJASTHAN,INDI

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,16,700.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 1,16,700.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

दिनांक 07.01.2026 को मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विअनुई, भ्र0नि0ब्यूरो, जयपुर को श्रीमान् महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर द्वारा श्री राजेश दुरेजा पुलिस उप अधीक्षक तकनीकी शाखा जयपुर की प्रस्तुत सूत्र सूचना रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित आदेश कर श्री राजेश दुरेजा पुलिस उप अधीक्षक तकनीकी शाखा जयपुर तथा श्री हिमांशु, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आसूचना शाखा, भ्रनिब्यूरो, जयपुर से समन्वय कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश प्रदान करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त सूत्र सूचना का अवलोकन किया गया। सूत्र सूचना इस आशय की प्राप्त हुई कि "श्री ऋषिराज सिंह, श्री विक्रमप्रताप सिंह, तथा श्री निर्मल द्वारा परिवहन विभाग के सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। " उक्त

आसूचना में परिवहन विभाग में उपरोक्तानुसार व्याप्त भ्रष्टाचार लोक सुरक्षा के सम्भावित खतरे से सम्बंधित होने के मध्यनेजर तकनीकी शाखा द्वारा ऋषिराज सिंह, श्री विक्रमप्रताप सिंह तथा श्री निर्मल के मोबाईल फोनों को सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरान्त अन्तावरोध पर लिये गये। अन्तावरोध वार्ता में आये तथ्यों के आधार पर श्री जगजीत सिंह उर्फ जगत बन्ना, श्री प्रदीप सिंह जोधा तथा विक्रमप्रताप सिंह का एक अन्य मोबाईल फोन से भी भ्रष्ट कृत्यों में लिप्त होना पाया गया। जिस पर उक्त तीनों मोबाईल नम्बरों को भी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरान्त अन्तावरोध पर लिया जाकर वार्ताओं का सुना गया। अन्तावरोध पर लिये गये मोबाईल नम्बरों की वार्ताओं को सुनने पर आसूचना के तथ्यों की पुष्टि हुई। इसी क्रम में अन्तावरोध वार्ताओं के दौरान प्रकट हुआ कि परिवहन विभाग में अजमेर, ब्यावर तथा केकडी में पदस्थापित परिवहन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा मध्यस्थ दलाल श्री ऋषिराज सिंह, श्री विक्रम प्रताप सिंह, श्री निर्मल कुमार उर्फ संजय यादव, श्री प्रदीप सिंह जोधा, श्री जगजीत सिंह उर्फ जगत बन्ना एवं अन्य के मार्फत ऑवरलॉडिंग व्यावसायिक वाहनों तथा अवैध वाहनों के परिवहन पर नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं करने/करवाने की एवज में अवैध रूप से वाहन स्वामियों/चालकों से रिश्वत राशि का आदान-प्रदान किया जा रहा है। उक्त लोकसेवकों तथा दलालों द्वारा आपस में मिलीभगत कर अवैध रूप से ऑवरलोड परिवहन करने वाले वाहनों से मासिक बंधी तथा प्रतिवाहन नियमित तौर पर रिश्वत राशि प्राप्त की जा रही है। इसी क्रम में संदिग्ध श्री ऋषिराज सिंह द्वारा ऑवरलॉडिंग व्यावसायिक वाहनों तथा अवैध वाहनों के परिवहन पर नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं करवाने की एवज में वाहन स्वामियों/चालकों से एकत्रित की गई रिश्वत राशि श्री जल सिंह, परिहवन निरीक्षक को उसके निवास स्थान अथवा अन्यत्र सुपुर्द करने की सम्भावना है। उक्त एकत्रित रिश्वत राशि संदिग्ध श्री ऋषिराज सिंह द्वारा संदिग्ध लोकसेवक श्री जल सिंह, परिवहन निरीक्षक के प्राईवेट निजी व्यक्ति (दलाल) संदिग्ध श्री प्रदीप सिंह जोधा को भी ब्यावर में किसी स्थान पर दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य दलालों द्वारा भी इसी प्रकार परिवहन विभाग में श्री जल सिंह, परिवहन अधिकारी एवं पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये रिश्वत राशि एकत्रित की गई है, उक्त रिश्वत राशि एकत्रित करने के उक्त भ्रष्ट कृत्य मे इन दलालों ंका सहयोग करने वाले विभिन्न संदिग्ध व्यक्तियों के पास भी एकत्रित की गई रिश्वत राशि मिलने की सम्भावना है। सूत्र सूचना के सम्बन्ध में उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा विभिन्न टीमों का गठन कर टीम प्रभारियों को संदिग्ध लोकसेवक/दलालों/व्यक्तियों की दस्तियाबी कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 08.01.2026 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो स्टॉफ सर्वश्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक, श्री सुभाष हैडकानि0 35, श्री कमलेश कुमार हैडकानि0 74, श्री मनीष सिंह कानि0 486, श्री विनोद कानि0 242, श्री पन्नालाल कानि0 09, श्रीमती सोहनी महिला कानि0 207, श्री हिमाशु, वरिष्ठ सहायक एवं स्वतंत्र गवाह श्री जितेश नामा तथा श्री महेन्द्र कुमार गुर्जर के ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर ब्यावर पर पहूंचा। कार्यवाही में पाबंद अन्य टीम प्रभारियों से भी अव्वल वक्त पर कार्यवाही करने हेतु सम्पर्क कर समन्वय स्थापित किया गया। मामले में संदिग्ध श्री ऋषिराज सिंह ग्राम गोला का निवासी है जिसका सम्बंधित संदिग्ध अधिकारी श्री जल सिंह परिवहन निरीक्षक को श्री प्रदीप सिंह जोधा के माध्यम से ऑवरलोड वाहनों के बिना कार्यवाही परिवहन कराने की एवज में एकत्रित की गई रिश्वत राशि ब्यावर आकर प्रदान किये जाने की सम्भावना है। उक्त सूत्र सूचना के क्रम में संदिग्ध व्यक्तियों/लोकसेवक की गोपनीय निगरानी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय जाप्ता अन्तावरोध वार्ताओं के क्रम में संदिग्ध दलाल श्री ऋषिराज सिंह तथा संदिग्ध लोकसेवक श्री जल सिंह, परिवहन निरीक्षक/श्री प्रदीप सिंह जोधा के मध्य एकत्रित रिश्वत राशि के आदान-प्रदान पर निगरानी रखने हेतु मूकीम हुआ। परन्तु संदिग्धान के काफी इंतजार के बाद भी रिश्वत राशि आदान-प्रदान हेतु नहीं आने पर पूर्व से मामले में मामूर मुखबिरान से जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि वर्तमान में परिवहन निरीक्षक श्री जल सिंह का स्थानान्तरण होने से दलालों द्वारा तीन-चार दिन में इस प्रकार व्यावसायिक वाहनों से अवैध रूप से वसूल की गई उक्त राशि को स्वयं रखना चाहते है या इसमें देरी करना चाहते है जिससे श्री जल सिंह, परिवहन निरीक्षक के स्थानान्तरण पर चले जाने के बाद कम राशि ही परिवहन अधिकारियों को देनी पडे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रभारी तकनीकी शाखा तथा आसूचना शाखा से समन्वय करने पर जानकारी में आया कि सूत्र सूचना के क्रम में अन्तावरोध पर लिये गये मोबाईल नम्बरों को सुनने से अधिकारीगण/कर्मचारीगण परिवहन विभाग ब्यावर के मध्यस्थ श्री रिषीराज सिंह राठौड व श्री प्रदीप सिंह जोधा एवं संदिग्ध अधिकारीगण/कर्मचारीगण के मध्य संदिग्ध अवैध राशि का लेन-देन होना था परन्तु अभी तक संदिग्ध दलाल लेन-देन हेतु बाहर नहीं आये है। अन्तावरोध पर लिये गये मोबाईल नम्बरों की वार्ताओं को सुनने से दलालों द्वारा ऑवरलोड परिवहन करने वाले व्यावसायिक वाहनों के वाहन स्वामियों/चालकों से परिवहन विभाग, ब्यावर के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये रिश्वत राशि एकत्रित करना पाया गया है। गोपनीय सूत्र सूचना के क्रम में अद्यतन जानकारी के मुताबिक संदिग्ध अधिकारीगण/कर्मचारीगण /दलालों द्वारा उक्त प्रकार से भ्रष्टाचार कर अर्जित उक्त अवैध राशि को खुर्द-बुर्द करने की पूर्ण सम्भावना को मध्यनजर रखते हुये तथा माननीय सक्षम न्यायालय से इस बाबत सर्च वारंट प्राप्त करने में समय लगने पर मध्यस्थ/परिजनों द्वारा साक्ष्य खुर्द बुर्द किये जाने की पूर्ण सम्भावना को देखते हुये अब तक समस्त हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन कर समस्त टीम प्रभारियों से समन्वय कर संदिग्धान के निवास स्थान की नियमानुसार अतिशीघ्र खाना तलाशी लेने की हिदायत की गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मध्यस्थ श्री रिषीराज सिंह के निवास

स्थान पर उपरोक्त गोपनीय कार्यवाही से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजात, नकदी, इत्यादि साक्ष्य मिलने की सम्भावना के मध्यनजर विधि के प्रावधानानुसार बिना सर्च वारंट के ही मध्यस्थ श्री रिषीराज सिंह के निवास स्थान की खाना तलाशी हेतु हमराहियान के साथ मकान न0 243,राजपुताना मोहल्ला, ग्राम- गौला, तहसील- पीसांगन वाया पुलिस थाना मांगलियावास जिला अजमेर पहुंचकर नियमानुसार संदिग्ध श्री रिषिराज सिंह के निवास स्थान की खाना तलाशी ली गई। तलाशी में संदिग्ध के निवास स्थान से संदिग्ध दस्तावेजात तथा नगद राशि बरामद होना पाई गई, आरोपी की पत्नी के मोबाईल फोन में भी व्यावसायिक वाहनों/ट्रकों के रजिस्ट्रेशन नम्बरों की सूचियां तथा स्केनर की फोटो (जो व्हाट्स एप्प से भेजी गई है) बरामद होना पाया गया। उक्त संदिग्ध दस्तावेजात/नगद राशि/मोबाईल फोन को जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात् उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार समस्त टीम प्रभारियों से समन्वय कर सभी टीम प्रभारियों को खाना तलाशी के उपरान्त समस्त डिटेनशुदा संदिग्धान व रिकॉर्ड को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर कार्यालय पर पहुंचने की हिदायत कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान व जब्तशुदा मोबाईल व रिकॉर्ड के मौके से रवाना होकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर कार्यालय पर पहुंचा। तत्पश्चात् एसीबी कार्यालय अजमेर पर उपस्थित आये टीम प्रभारियों द्वारा डिटेन कर लाये गये संदिग्धान मय खाना तलाशी फर्द एवं जब्त दस्तावेज/नगद राशि/मोबाईल फोनों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। जिस पर टीम प्रभारियों द्वारा प्रस्तुत खाना तलाशी की फर्दों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अवलोकन किया गया। तत्पश्चात डिटेनशुदा संदिग्धान से बारी-बारी पूछताछ की गई। मामले में प्राप्त सूत्र सूचना पर अब तक की गई कार्यवाही से आरोपी श्री जल सिंह मीणा, परिवहन निरीक्षक द्वारा मध्यस्थ आरोपीगण श्री रिषिराज सिंह, श्री विक्रम प्रताप सिंह उर्फ विक्रम बन्ना उर्फ बन्टी, श्री निर्मल कुमार उर्फ संजय यादव एवं अन्य से अवैध रूप से मिलीभगत कर व्यावसायिक/अवैध वाहनों के ओवरलॉड परिवहन पर नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं करने की एवज में वाहन चालको/स्वामियों से उपरोक्त मध्यस्थों (दलालों) के मार्फत अनुचित लाभ के तौर पर रिश्वत प्राप्त करना पाया गया। उपरोक्त आरोपीगण मध्यस्थों द्वारा भी अन्य प्राईवेट व्यक्यि के मार्फत आवरलॉड परिवहन करने वाले व्यावसायिक वाहनों स्वामियों/चालको से रिश्वत राशि एकत्रित करना पाया गया। मामले में मध्यस्थों द्वारा श्री जल सिंह मीणा, परीवहन निरीक्षक, विजयनगर/ब्यावर एवं परिवहन विभाग के अन्य अधिकारीगण/कर्मचारीगण से मिलीभगत कर आवरलॉड परिवहन करने वाले व्यावसायिक वाहनों स्वामियों/चालको से रिश्वत राशि प्राप्त कर उनकी गाडी के नम्बर उक्त प्राईवेट व्यक्तियों से प्राप्त कर सम्बंधित अधिकारीगण/कर्मचारीगण तक भिजवाये जाते है, जिससे उक्त वाहनों के विरूद्ध उक्त विभाग के अधिकारीगण/कर्मचारीगण द्वारा आवरलॉड परिवहन करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं करवाई जाती है। आरोपी श्री जल सिंह मीणा द्वारा मध्यस्थ श्री प्रदीप सिंह जोधा से भी मिलीभगत कर दलाल श्री रिषिराज सिंह तथा कथित चौधरी से श्री प्रदीप सिंह जोधा के मार्फत आवरलोड परिवहन करने वाले व्यावसायिक वाहनों स्वामियों/चालको के विरूद्ध कानूनन कार्यवाही नहीं करने की एवज में बतौर अनुचित लाभ रिश्वत मांग करना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री जल सिंह मीणा, परिवहन निरीक्षक, विजयनगर/ब्यावर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61(2) बीएनएस के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त आरोपी को जुर्म से आगाह कराकर जरिये फर्द पृथक से गिरफतार किया गया। अब तक की गई कार्यवाही से आरोपी श्री निर्मल कुमार उर्फ संजय यादव द्वारा परिवहन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कथित संदिग्ध श्री जगत बन्ना उर्फ जगजीत सिंह से अवैध रूप से मिलीभगत कर व्यावसायिक/अवैध वाहनों के ओवरलोड परिवहन पर नियमानुसार कोई कार्यवाही नहीं करवाने की एवज में वाहन चालको/स्वामियों से संदिग्धान श्री बृजेश अथवा अन्य के मार्फत बतौर अनुचित लाभ रिश्वत राशि एकत्रित करवाकर संदिग्ध श्री जगत सिंह/जगत बन्ना/जगजीत सिंह को परिवहन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को देने के लिये भिजवाना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री निर्मल कुमार उर्फ संजय यादव का उक्त कृत्य धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) बीएनएस के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त आरोपी को जुर्म से आगाह कराकर जरिये फर्द पृथक से गिरफतार किया गया। इसी क्रम में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री विक्रम प्रताप सिंह उर्फ विक्रम बन्ना उर्फ बंटी द्वारा परिवहन विभाग, ब्यावर/केकडी में पदस्थापित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/वाहन स्वामियों/चालकों से अवैध रूप से मिलीभगत कर व्यावसायिक/अवैध वाहनों के ओवरलोड परिवहन पर परिवहन कार्यालय, ब्यावर/केकडी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करवाने की एवज में वाहन चालको/स्वामियों से प्राईवेट व्यक्तियों श्री महेन्द्र प्रजापत, सुनील प्रजापत, श्री मनोहर नायक एवं श्री सोनू के मार्फत ऑवरलोड परिवहन करने वाले वाहनों के नम्बरों की सूचियां बनाकर प्रति वाहन 800/- रूपये (प्रति चक्कर) की रिश्वत प्राप्त करना प्रमाणित पाया गया। आरोपी श्री विक्रम प्रताप सिंह उर्फ विक्रम बन्ना उर्फ बंटी वाहन स्वामियों/चालकों से नगद रिश्वत राशि आरोपीगण महेन्द्र प्रजापत, सुनिल प्रजापत, श्री मनोहर नायक तथा संदिग्ध सोनू, राधास्वामी होटल के मार्फत प्राप्त करना पाया गया। आरोपी श्री विक्रम प्रताप सिंह उर्फ विक्रम बन्ना उर्फ बंटी वाहन स्वामियों/चालकों से रिश्वत राशि अपने मामा श्री केदारसिंह के लडके श्री कृष्णा सिंह राठौड की सहमति से उसके बैंक खाते में ऑनलाईन डलवाकर भी प्राप्त करना पाया गया है। उपरोक्त के सम्बंध में आरोपीगण श्री सुनील प्रजापत तथा महेन्द्र प्रजापत के कब्जे से वाहनों की सूचियों की कापी कब्जा एसीबी ली गई है। जिससे आरोपीगण द्वारा प्रति वाहन 800/- रूपये लेना स्पष्ट होता है। इस प्रकार आरोपी श्री विक्रम प्रताप सिंह उर्फ विक्रम बन्ना उर्फ बंटी का उक्त कृत्य धारा 7ए भ्रष्टाचार

निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) बीएनएस के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त आरोपी को जुर्म से आगाह कराकर जरिये फर्द पृथक से गिरफतार किया गया। इसी क्रम में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री महेन्द्र प्रजापत द्वारा आरोपी श्री विक्रम प्रताप सिंह उर्फ विक्रम बन्ना उर्फ बंटी का परिवहन विभाग, ब्यावर में पदस्थापित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/वाहन स्वामियों/चालकों से अवैध रूप से मिलीभगत कर व्यावसायिक वाहनों के ओवरलोड परिवहन पर परिवहन कार्यालय, ब्यावर से कोई कार्यवाही नहीं करवाने देने की एवज में वाहन चालकों/स्वामियों से प्रति वाहन 800/- रूपये की रिश्वत प्राप्त करने का बोध होते हुये आरोपी के उक्त कृत्य में सहयोग कर व्यावसायिक वाहन स्वामियों/चालको के उपरोक्त कार्य की एवज में वाहन स्वामियों/चालको से प्रति वाहन 800/- रूपये की रिश्वत प्राप्त कर आरोपी श्री विक्रम प्रताप सिंह उर्फ विक्रम बन्ना उर्फ बंटी को देना पाया गया है। आरोपी श्री महेन्द्र प्रजापत का उक्त कृत्य धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) बीएनएस के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त आरोपी को जुर्म से आगाह कराकर जरिये फर्द पृथक से गिरफतार किया गया। इसी क्रम में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री सुनिल प्रजापत द्वारा आरोपी श्री विक्रम प्रताप सिंह उर्फ विक्रम बन्ना उर्फ बंटी का परिवहन विभाग, ब्यावर में पदस्थापित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/वाहन स्वामियों/चालकों से अवैध रूप से मिलीभगत कर व्यावसायिक वाहनों के ओवरलॉड परिवहन पर परिवहन कार्यालय, ब्यावर से कोई कार्यवाही नहीं करवाने देने की एवज में वाहन चालको/स्वामियों से प्रति वाहन 800/- रूपये की रिश्वत प्राप्त करने का बोध होते हुये आरोपी के उक्त कृत्य में सहयोग कर व्यावसायिक वाहन स्वामियों/चालको के उपरोक्त कार्य की एवज में वाहन स्वामियों/चालको से प्रति वाहन 800/- रूपये की रिश्वत प्राप्त कर आरोपी श्री आरोपी श्री विक्रम प्रताप सिंह उर्फ विक्रम बन्ना उर्फ बंटी को देना पाया गया है। आरोपी श्री सुनिल प्रजापत का उक्त कृत्य धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) बीएनएस के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त आरोपी को जुर्म से आगाह कराकर जरिये फर्द पृथक से गिरफतार किया गया।. इसी क्रम में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री कृष्णा सिंह राठौड द्वारा आरोपी श्री विक्रम प्रताप सिंह उर्फ विक्रम बन्ना उर्फ बंटी का परिवहन विभाग, ब्यावर में पदस्थापित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/वाहन स्वामियों/चालकों से अवैध रूप से मिलीभगत कर व्यावसायिक वाहनों के आवरलॉड परिवहन पर परिवहन कार्यालय, ब्यावर से कोई कार्यवाही नहीं करवाने देने की एवज में वाहन चालको/स्वामियों से ऑन लाईन रिश्वत प्राप्त करने हेतु अपना बैंक खाता उपलब्ध करवाकर (जिसके फोन पे नम्बर) आरोपी श्री विक्रम प्रताप सिंह उर्फ विक्रम बन्ना उर्फ बंटी को उक्त आपराधिक कार्य में सहयोग कर आरोपी का कृत्य सुकर बनाने में सहयोग करना पाया गया है। आरोपी श्री कृष्णा सिंह राठौर का उक्त कृत्य 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) बीएनएस के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त आरोपी को जुर्म से आगाह कराकर जरिये फर्द पृथक से गिरफतार किया गया। इसी क्रम में अब तक कार्यवाही से आरोपी श्री बुदेसिंह द्वारा आरोपी श्री रिषीराज सिंह का परिवहन विभाग, ब्यावर में पदस्थापित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/वाहन स्वामियों/चालकों से अवैध रूप से मिलीभगत कर व्यावसायिक वाहनों के ओवरलॉड परिवहन पर परिवहन कार्यालय, ब्यावर से कोई कार्यवाही नहीं करवाने देने की एवज में वाहन चालको/स्वामियों से प्रति वाहन 1100 से 1500/- रूपये तक की रिश्वत प्राप्त करने का बोध होते हुये आरोपी के उक्त कृत्य में सहयोग कर व्यावसायिक वाहन स्वामियों/चालको के उपरोक्त कार्य की एवज में वाहन स्वामियों/चालको से रिश्वत प्राप्त कर आरोपी श्री आरोपी रिषीराज सिंह को देना पाया गया है। आरोपी श्री बुदेसिंह का उक्त कृत्य धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) बीएनएस के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त आरोपी को जुर्म से आगाह कराकर जरिये फर्द पृथक से गिरफतार किया गया। इसी क्रम में अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री मनोहर नायक द्वारा आरोपी श्री विक्रम प्रताप सिंह उर्फ विक्रम बन्ना उर्फ बंटी का परिवहन विभाग, ब्यावर में पदस्थापित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/वाहन स्वामियों/चालकों से अवैध रूप से मिलीभगत कर व्यावसायिक वाहनों के आवरलॉड परिवहन पर परिवहन कार्यालय, ब्यावर से कोई कार्यवाही नहीं करवाने देने की एवज में वाहन चालको/स्वामियों से रिश्वत प्राप्त करने का बोध होते हुये आरोपी के उक्त कृत्य में सहयोग कर व्यावसायिक वाहन स्वामियों/चालको से वार्ता करना, उनसे आरोपी श्री विक्रम प्रताप सिंह द्वारा उपलब्ध करवाये गये मोबाईल नम्बर पर वार्ता कर रिश्वत राशि ऑन लाईन/नगद प्राप्त कर आरोपी को सुपुर्द करना पाया गया है। आरोपी श्री मनोहर नायक का उक्त कृत्य धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) बीएनएस के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त आरोपी को जुर्म से आगाह कराकर जरिये फर्द पृथक से गिरफतार किया गया। इसी क्रम में अब तक कार्यवाही से आरोपी श्री प्रदीप सिंह जोधा द्वारा आरोपी लोकसेवक श्री जल सिंह, आरटीओ के व्यावसायिक वाहनों के ओवरलॉड परिवहन पर कोई कार्यवाही नहीं करने की एवज में वाहन चालको/स्वामियों से दलालों के मार्फत रिश्वत प्राप्त करने का बोध होते हुये आरोपी श्री जल सिंह के कहे अनुसार दलाल आरोपी श्री रिषिराज सिंह व अन्य से मोबाईल फोन पर सम्पर्क कर उनके द्वारा एकत्रित की गई रिश्वत राशि की आरोपी श्री जल सिंह के लिये मांग करना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री प्रदीप सिंह जोधा द्वारा आरोपी लोकसेवक के उक्त आपराधिक कृत्य में सहयोग कर आरोपी का कार्य सुकर बनाने का कार्य किया गया है। आरोपी श्री प्रदीप सिंह जोधा का उक्त कृत्य धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) बीएनएस के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त आरोपी को जुर्म से आगाह कराकर जरिये फर्द पृथक से

गिरफतार किया गया। इसी क्रम में अब तक कार्यवाही से आरोपी श्री रामूराम द्वारा आरोपी लोकसेवक श्री जल सिंह, आरटीओ के व्यावसायिक वाहनों के ओवरलॉड परिवहन पर कोई कार्यवाही नहीं करने की एवज में वाहन चालको/स्वामियों से दलालों के मार्फत रिश्वत प्राप्त करने का बोध होते हुये आरोपी श्री जल सिंह के उक्त कृत्य में सहयोग करने के दुराश्य से दलालों से आरोपी श्री जल सिंह के लिये रिश्वत राशि एकत्रित करना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री रामूराम द्वारा आरोपी लोकसेवक के उक्त आपराधिक कृत्य में सहयोग कर आरोपी का कार्य सुकर बनाने का कार्य किया गया है। आरोपी श्री रामूराम का उक्त कृत्य धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) बीएनएस के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त आरोपी को जुर्म से आगाह कराकर जरिये फर्द पृथक से गिरफतार किया गया। तत्पश्चात् मामले में आरोपी श्री जल सिंह के ब्यावर स्थित किराये के मकान की निवास स्थान की तलाशी लिवाई जाकर बाद अवलोकन शामिल मिसल किया गया। अन्य संदिग्धान श्री बुद्धिप्रकाश, श्री लक्ष्मण काठात एवं श्री गुलाब काठात से विस्तृत पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट शामिल पत्रावली किये गये। उक्त तीनों की मामले में अब तक हुई कार्यवाही से किसी प्रकार की संलिप्तता के साक्ष्य नहीं पाये जाने पर बाद हिदायत रूखसत किया गया। गिरफतारशुदा आरोपीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायालय आदेशानुसार आरोपीगण श्री महेन्द्र प्रजापत, श्री सुनील प्रजापत, श्री कृष्णा सिंह राठौड, श्री बुद्वे सिंह, श्री मनोहर नायक एवं श्री रामूराम को जेसी करवाया जाकर केन्द्रीय कारागृह, अजमेर से बंदी प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई तथा आरोपीगण श्री जल सिंह, श्री निर्मल कुमार उर्फ संजय यादव, श्री विक्रम प्रताप सिंह उर्फ विक्रम बन्ना तथा प्रदीप सिंह जोधा को दिनांक 12.01.2026 तक पुलिस अभिरक्षा में प्राप्त किया गया। प्रकरण में सूत्र सूचना पर अब तक की गई कार्यवाही में पाये गये परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से पाया गया कि अजमेर क्षैत्र के विभिन्न मार्गां से ब्यावर से होकर जाने वाले ओवरलोड व्यवसायिक/अवैध वाहनों के परिवहन पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही नही करने की एवज में आरोपी श्री जल सिंह, परिवहन निरीक्षक तथा परिहवन विभाग के अन्य अधिकारी/कर्मचारी से आरोपीगण दलाल श्री ऋषिराज सिंह, श्री निर्मल कुमार उर्फ संजय यादव तथा श्री विक्रम प्रताप सिंह उर्फ विक्रम बन्ना उर्फ बंटी द्वारा अवैध रूप से मिलीभगत कर ऐसे वाहनों के चालकों/स्वामियों उक्त कार्य की एवज में मासिक बंधी के तौर पर अथवा प्रति वाहन बतौर अनुचित लाभ रिश्वत की मांग कर प्राईवेट व्यक्तियों (छोटे दलालों) आरोपीगण श्री बुद्धेसिंह, श्री मनोहर नायक, श्री महेन्द्र प्रजापत, श्री सुनिल प्रजापत एवं संदिग्ध श्री बृजेश के मार्फत ऐसे वाहनों के चालकों/स्वामियों से रिश्वत राशि प्राप्त करवाकर एकत्रित करना पाया गया है। आरोपीगण श्री बुद्धेसिंह, श्री मनोहर नायक, श्री महेन्द्र प्रजापत, श्री सुनिल प्रजापत एवं संदिग्ध श्री बृजेश द्वारा आरोपीगण दलाल श्री ऋषिराज सिंह, श्री निर्मल कुमार उर्फ संजय यादव तथा श्री विक्रम प्रताप सिंह उर्फ विक्रम बन्ना उर्फ बंटी के उक्त भ्रष्ट कृत्य की सम्पूर्ण जानकारी होने के उपरान्त भी ऐसे वाहनों के चालकों/स्वामियों से रिश्वत राशि प्राप्त करवाकर एकत्रित करना तथा उक्त आरोपीगण को प्रदान करना पाये जाने से सहयोग करना पाया गया है। परिवहन विभाग के लोकसेवक आरोपीगण श्री जल सिंह, परिवहन निरीक्षक एवं अन्य अधिकारीगण/कर्मचारीगण द्वारा अपने साथ में रहने वाले प्राईवेट व्यक्तियों आरोपीगण श्री रामूराम, प्रदीप सिंह जोधा तथा जगजीत सिंह उर्फ जगत सिंह उर्फ जगत बन्ना के मार्फत आरोपीगण दलाल श्री ऋषिराज सिंह, श्री निर्मल कुमार उर्फ संजय यादव तथा श्री विक्रम प्रताप सिंह उर्फ विक्रम बन्ना उर्फ बंटी द्वारा ओवरलोड व्यवसायिक/अवैध वाहनों के परिवहन करने पर एकत्रित की गई रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त किया जाना पाया गया है। इसके उपरान्त अगर ऐसे वाहन चालकों, जिनके द्वारा दलालों को रिश्वत राशि दी जा चुकी है उनको परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा रूकवाने पर इन दलालों द्वारा सम्बंधित परिवहन अधिकारी से वार्ता कर छुडवाया जाना पाया गया है। आरोपीगण दलालों द्वारा ऐसे वाहन चालकों को अपने तथा अपने परिचितों के बैंक खातों के स्केनर उपलब्ध करवाकर रिश्वत राशि ऑन लाईन भी प्राप्त किया जाना पाया गया है। इस प्रकार प्रकरण में लोकसेवक आरोपी श्री जल सिंह, परिवहन निरीक्षक तथा अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण (जिनका पदस्थापन अजमेर रीजन में है) द्वारा आरोपीगण दलालों/प्राईवेट व्यक्तियों/व्यावसायिक वाहनों के चालको/स्वामियों से अवैध रूप से मिलीभगत कर बतौर अनुचित लाभ मासिक बंधी/प्रति वाहन (प्रति चक्कर) रिश्वत राशि आदान-प्रदान करना पाया गया है। मामले में सूत्र सूचना पर की गई अब तक की कार्यवाही, अन्तावरोध पर लिये गये मोबाईल नम्बरों की रिकॉर्डेड कॉल्स को सुनने तथा अब तक के परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से आरोपीगण दलालों से श्री अनिल चौधरी, परिवहन निरीक्षक, अजमेर की भी भूमिका संदिग्ध प्रतीत होना पाया गया है। मामले में संदिग्ध श्री जगजीत सिंह उर्फ जगत सिंह उर्फ जगत बन्ना द्वारा जिला परिवहन अधिकारी, केकडी के लिये रिश्वत की मांग करना तथा संदिग्ध श्री बृजेश को रिश्वत राशि कम होने की कहकर जिला परिवहन अधिकारी, केकडी के लिये रिश्वत राशि पूर्ण करने के लिये बृजेश को कहा जाना पाया गया है। श्री उक्त तथ्यों से जिला परिवहन अधिकारी, केकडी की भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री ऋषिराज सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह निवासी 243, राजपूताना मोहल्ला, ग्राम गोला खरवा, तहसील पीसांगन पुलिस थाना मांगलियास, अजमेर द्वारा परिवहन विभाग, ब्यावर में श्री जल सिंह, परिवहन निरीक्षक तथा परिवहन विभाग ब्यावर में पदस्थापित अधिकारीगण/कर्मचारीगण/वाहन स्वामियों/चालकों से अवैध रूप से मिलीभगत कर व्यावसायिक/अवैध वाहनों के ओवरलोड परिवहन पर परिवहन कार्यालय, ब्यावर द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करवाने की एवज में वाहन चालको/स्वामियों से प्राईवेट व्यक्ति श्री बुदेंसिंह तथा अन्य के मार्फत ओवरलोड परिवहन करने

वाले वाहनों के नम्बरों की सूचियां बनाकर मासिक बंधी अथवा प्रति वाहन 1100 से 1500/- रूपये (प्रति चक्कर) की रिश्वत प्राप्त करना प्रमाणित पाया गया। आरोपी श्री ऋषिराज सिंह द्वारा वाहन स्वामी/चालकों से स्वयं, बुंदे सिंह तथा अन्य के मार्फत रिश्वत राशि एकत्रित कर प्राप्त करना पाया गया। आरोपी की पत्नी श्रीमती पूजां कंवर के मोबाईल फोन में संरक्षित यूपीआई स्केनर के फोटो तथा वाहनों की सूचियों तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से आरोपी श्री ऋषिराज सिंह को वाहन चालकों तथा स्वामियों से ऑन लाईन राशि प्राप्त किया जाना प्रतीत होता है। दौराने कार्यवाही आरोपी श्री ऋषिराज सिंह अपने निवास पर नहीं मिला। इस प्रकार आरोपी श्री ऋषिराज सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह निवासी 243, राजपूताना मोहल्ला, ग्राम गोला खरवा, तहसील पीसांगन पुलिस थाना मांगलियास, अजमेर की संलिप्तता होने से आरोपी का कृत्य धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) बीएनएस के दण्डनीय अपराध की श्रैणी में आना पाया गया। उक्त कार्यवाही में अब तक के अनुसंधान से पाया गया कि परिवहन विभाग में जिला परिवहन अधिकारी, ब्यावर/केकडी/किशनगढ/अजमेर आदि पदों पर पदस्थापित अधिकारियों के अधीन पदस्थापित परिवहन निरीक्षकों द्वारा इसी प्रकार प्राईवेट व्यक्तियों/दलालों के मार्फत ओवरलोड व्यवसायिक/अवैध वाहनों के परिवहन करने पर नियमानुसार कार्यवाही नहीं कर एकत्रित की गई रिश्वत राशि में से कुछ हिस्सा जिला परिवहन अधिकारियों को पहुंचाया जाता है तथा सम्बंधित जिला परिवहन अधिकारी द्वारा उक्त राशि में से कुछ हिस्सा क्षैत्रीय परिवहन अधिकारी, अजमेर तक पहुंचाया जाना प्रकट हुआ है। इस कारण मामले में क्षैत्रीय परिवहन अधिकारी, अजमेर तथा जिला परिवहन अधिकारी, ब्यावर/केकडी/किशनगढ/अजमेर के पदों पर पदस्थापित अधिकारीयों की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है। जिनकी भूमिका के सम्बंध में विस्तृत अनुसंधान से ही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। इस प्रकार आरोपीगण 1. श्री जल सिंह मीणा पुत्र स्व. श्री गिर्राज प्रसाद मीणा, उम्र- 58 साल, निवासी- ग्राम निठारी पोस्ट जटवाडा, पुलिस थाना खेडली तहसील- लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल- परिवहन निरीक्षक जिला परिवहन कार्यालय ब्यावर 2. श्री निर्मल कुमार उर्फ संजय यादव पुत्र श्री गोपाल यादव उम्र 41 साल निवासी वार्ड नम्बर 01, सप्लाई डिपो के पास कोटा रोड, नसीराबाद, अजमेर 3. श्री विक्रम प्रताप सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह जाति- राजपूत, उम्र- 41 साल, निवासी- पीपरोली पुलिस थाना सराणा, तहसील- टाटोती जिला अजमेर, 4. श्री महेन्द्र प्रजापत पुत्र स्व. श्री टीकमचन्द प्रजापत जाति- प्रजापत, उम्र- 23 साल, निवासी- कुम्हारो की ढाणी, कोटा चौराह, ग्राम डेराटू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर 5. श्री सुनील प्रजापत पुत्र स्व. श्री टीकमचन्द प्रजापत जाति- प्रजापत, उम्र- 20 साल, निवासी- कुम्हारो की ढाणी, कोटा चौराहा, ग्राम डेराटू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर 6. श्री कृष्णा सिंह राठौड पुत्र श्री केदारचन्द जाति- राजपूत, उम्र- 18 साल, निवासी- ग्राम पीपरोली तहसील टांटोती पुलिस थाना सराणा जिला अजमेर 7. श्री बुद्धे सिंह पुत्र श्री मुन्ना सिंह जाति- रावत, उम्र- 23 साल, निवासी- ग्राम- राईरा खुर्द, तहसील-सोजत सीटी, जिला पाली 8. श्री मनोहर नायक पुत्र श्री शिवराज नायक जाति- नायक, उम्र- 27 साल, निवासी- गांव व तहसील-टांटोती, जिला अजमेर 9. श्री प्रदीप सिंह जोधा पुत्र स्व. श्री किशन सिंह जाति- राजपूत, उम्र- 42 साल, निवासी- गांव गोपालपुरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर हाल- किरायेदार उत्तमपाल सेंगर का मकान, सुदर्शन सिंह के ऑफिस के पीछे, नाकोडा कॉलोनी, नरसिंहपुरा ब्यावर 10. श्री रामूराम पुत्र श्री सांवलराम जाति- जाट, उम्र- 42 साल, निवासी- गाव लोहराणा, तहसील नांवा, जिला डीडवाना कुचामन, 11. श्री ऋषिराज सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह उम्र- 35 साल, निवासी 243, राजपूताना मोहल्ला, ग्राम गोला खरवा, तहसील पीसांगन पुलिस थाना मांगलियास, अजमेर 12. संदिग्ध श्री जगजीत सिंह उर्फ जगत सिंह उर्फ जगत बन्ना पुत्र श्री नामालुम उम्र 35 साल निवासी नोखा चान्दावत तहसील खींवसर जिला नागौर राज0 13. संदिग्ध श्री बृजेश पुत्र श्री रामनारायण उम्र- 26 साल, निवासी सूतरखाना मोहल्ला, पुलिस थाना नसीराबाद सीटी, अजमेर व अन्य का उक्त कृत्य अपराध धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) बीएनएस में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। अतः उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) बीएनएस बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (संदीप सारस्वत) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।.............कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री संदीप सारस्वत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए, 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) एवं 61(2) बीएनएस 2023 में आरोपीगण 1. श्री जल सिंह मीणा पुत्र स्व. श्री गिर्राज प्रसाद मीणा, उम्र- 58 साल, निवासी- ग्राम निठारी पोस्ट जटवाडा, पुलिस थाना खेडली तहसील- लक्ष्मणगढ जिला अलवर हाल- परिवहन निरीक्षक जिला परिवहन कार्यालय ब्यावर 2. श्री निर्मल कुमार उर्फ संजय यादव पुत्र श्री गोपाल यादव उम्र 41 साल निवासी वार्ड नम्बर 01, सप्लाई डिपो के पास कोटा रोड, नसीराबाद, अजमेर 3. श्री विक्रम प्रताप सिंह पुत्र श्री गोविन्द सिंह जाति- राजपूत, उम्र- 41 साल, निवासी- पीपरोली पुलिस थाना सराणा, तहसील- टाटोती जिला अजमेर, 4. श्री महेन्द्र प्रजापत पुत्र स्व. श्री टीकमचन्द प्रजापत जाति- प्रजापत, उम्र- 23 साल, निवासी- कुम्हारो की ढाणी, कोटा चौराह, ग्राम डेराटू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर 5. श्री सुनील प्रजापत पुत्र स्व. श्री टीकमचन्द प्रजापत जाति- प्रजापत, उम्र- 20 साल, निवासी- कुम्हारो की ढाणी, कोटा चौराहा, ग्राम डेराटू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर 6. श्री

कृष्णा सिंह राठौड पुत्र श्री केदारचन्द जाति- राजपूत, उम्र- 18 साल, निवासी- ग्राम पीपरोली तहसील टांटोती पुलिस थाना सराणा जिला अजमेर 7. श्री बुद्धे सिंह पुत्र श्री मुन्ना सिंह जाति- रावत, उम्र- 23 साल, निवासी- ग्राम- राईरा खुर्द, तहसील- सोजत सीटी, जिला पाली 8. श्री मनोहर नायक पुत्र श्री शिवराज नायक जाति- नायक, उम्र- 27 साल, निवासी- गांव व तहसील-टांटोती, जिला अजमेर 9. श्री प्रदीप सिंह जोधा पुत्र स्व. श्री किशन सिंह जाति- राजपूत, उम्र- 42 साल, निवासी- गांव गोपालपुरा तहसील रायपुर जिला ब्यावर हाल- किरायेदार उत्तमपाल सेंगर का मकान, सुदर्शन सिंह के ऑफिस के पीछे, नाकोडा कॉलोनी, नरसिंहपुरा ब्यावर 10. श्री रामूराम पुत्र श्री सांवलराम जाति- जाट, उम्र- 42 साल, निवासी- गावं लोहराणा, तहसील नांवा, जिला डीडवाना कुचामन, 11. श्री ऋषिराज सिंह पुत्र श्री भागीरथ सिंह उम्र- 35 साल, निवासी 243, राजपूताना मोहल्ला, ग्राम गोला खरवा, तहसील पीसांगन पुलिस थाना मांगलियास, अजमेर 12. संदिग्ध श्री जगजीत सिंह उर्फ जगत सिंह उर्फ जगत बन्ना पुत्र श्री नामालुम उम्र 35 साल निवासी नोखा चान्दावत तहसील खींवसर जिला नागौर राज0 13. संदिग्ध श्री बृजेश पुत्र श्री रामनारायण उम्र- 26 साल, निवासी सूतरखाना मोहल्ला, पुलिस थाना नसीराबाद सीटी, अजमेर व अन्य के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश नवल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय, जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 253 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 104-07 दिनांक 15.1.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर 2- आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान जयपुर 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर रेंज जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** ghyan prakash naval **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I
Date: 1 /2026

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1968				
2	Male	1985				
3	Male	1985				
4	Male	2003				
5	Male	2006				
6	Male	2008				
7	Male	2003				
8	Male	1999				
9	Male	1984				
10	Male	1984				
11	Male	1991				
12	Male	1991				
13	Male	2000				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)